न्यायकि सुधार

न्यायकि सुधार

परचिय

- सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच इस वर्ष संपन्न हुई एक संयुक्त बैठक में भारत के मुख्य न्यायाधीश की तरफ से न्यायकि सुधारों (वशिषकर जजों की भारी कमी का समाधान) के लयि वेदनापूर्ण आग्रह कयिा गया।
- यह एक स्थापति तथ्य है कि न्यायपालकिा के कार्यों का कुशल संचालन नयिमति व सुचारू रूप से होने वाली नयिुक्तयिों के द्वारा ही हो सकता है, कंतु स्वीकृति देने में सरकार द्वारा नष्क्रियिता दखिाने के कारण अनेक नयिुक्तयिाँ अटकी पड़ी हैं।

न्यायकि सुधार क्यों?

- न्यायकि नयिुक्तयिों के लयि एक उत्तरदायी व पारदर्शी व्यवस्था काम नहीं कर रही है। अतः नयिुक्तयिों व स्थानांतरण के लयि एक पारदर्शी, और वविकाधीन व्यवस्था स्थापति करने की अनविार्यता बढ़ गई है।
- न्यायाधीशों को मनोनीत करने के लयि न तो कोई मापदंड नर्धिारति कयि गए हैं और न ही नयिुक्ति के लयि प्रस्तावति कयि गए नामों का कसिी मापदंड पर रीतबिद्ध मूल्यांकन कयिा जा सकता है। प्रायः कहा जाता है कि न्यायकि तंत्र में भाई-भतीजावाद की प्रवृत्ति काफी बढ़ गई है, जसिके चलते यह अकुशलताओं से गुजर रहा है।
- उच्च व नचिली अदालतों में भी नयिुक्ति में देरी होने के कारण न्यायकि अधकिारयिों की कमी हो गई है, जो कि बहुत ही चतिाजनक है। इसी कारण, मामलों के लंबति रहने का अनुपात बढ़ता जा रहा है और यह पूरे भारतीय न्यायकि तंत्र को जकड़ चुका है।
- छोटे कार्यकाल और कार्य के भारी दबावों के कारण सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कानून को उत्कृष्ट बनाने और आवश्यक परपिक्वता अर्जति करने का अवसर ही नहीं मलि पाता है।
- न्याय अभी भी देश के बहुसंख्यक नागरकिों की पहुँच के बाहर है, क्योंकि वे वकीलों के भारी खर्च वहन नहीं कर पाते हैं और उन्हें व्यवस्था की प्रक्रयिात्मक जटलिता से होकर गुजरना पड़ता है।

प्रस्तावति न्यायकि सुधार

- **नयिुक्तयिाँ:** प्रस्तावति राष्ट्रीय न्यायकि नयिुक्ति आयोग द्वारा जजों को नयिुक्त करने की कॉलेजयिम व्यवस्था (वर्तमान व्यवस्था) के वकिल्प के रूप में प्रस्तुत कयिा जा रहा है। यद्यपि, इसे अनेक आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, फरि भी यह प्रभावशाली समाधान हो सकता है, जसिके लयि भारत के मुख्य न्यायाधीश व न्यायपालकिा के बीच कार्यकारी शक्ति के लयि संतुलन बैठाना होगा।
- **लंबति मामले:** वचिाराधीन मामलों के अनुपात में कमी लाने के लयि कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहयि, कुछ वशिष श्रेणी के मामलों के समाधान के लयि समय-सीमा तय की जानी चाहयि तथा लोक अदालतों और ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहयि। इससे न केवल वचिाराधीन मामलों की संख्या में आनुपातकि कमी आएगी बल्कि न्यायपालकिा के मूल्यवान समय की बचत होगी।
- **अखलि भारतीय न्यायकि सेवा का नरि्माण**: अधीनस्थ न्यायालयों के स्तर पर सर्वोत्तम उपलब्ध प्रतभिा को आकर्षति करके यह जजों की योग्यता व गुणवत्ता में सुधार करेगा।
- **तकनीक:** सूचना और संचार प्रौद्योगकिी के कुशलतापूर्वक उपयोग से न्यायकि डेटाबेस बनाया जा सकता है। इसके द्वारा जजों के अलग-अलग प्रदर्शनों का आकलन कयिा जा सकेगा तथा एक संस्था के रूप में न्यायालय के समग्र प्रदर्शन का आकलन भी कयिा जा सकेगा।
- वधि आयोग ने अपनी रपिोर्ट में यह प्रस्तावति कयिा है कि खंडपीठों के माध्यम से उच्च न्यायालय के कार्यों का वकिेंद्रीकरण कयिा जाए, जजों की सेवानविृत्ति की उम्र बढ़ाई जाए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद अहस्तांतरणीय बनाया जाए और न्यायाधीशों की संख्या वर्ष 1987 के आधार पर 5 गुना बढ़ाई जाए।

आगे का रास्ता

- जजों की नयिुक्ति करने में न्यायपालकिा व कार्यपालकिा के बीच टकराव खत्म होने चाहयि तथा ऐसा स्वीकार्य समाधान नकिलना चाहयि जसिमें दोनों संबद्ध पक्षों के मतों को सम्मान मलि सके।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेदनापूर्ण आग्रह को एक बड़ी चेतावनी व अवलिंब समाधान की आवश्यकता के रूप में लयिा जाना चाहयि तथा न्यायपालकिा की कार्यपद्धति के ववििधि पक्षों में न्यायकि सुधार पर ध्यान दयिा जाना चाहयि, जनिमें नयिुक्तयिाँ, स्थानांतरण व अवसंरचनात्मक

विकास प्रमुख हैं।

- इसके अतिरिक्त, नागरिकों की बढ़ती हुई भागीदारी से इस चर्चा को बल मिला है कि न्यायिक व्यवस्था का संचालन किस तरह किया जाए, जिससे यह अपनी राह में आने वाली बाधाओं से निपट सके तथा आम जनता को न्याय दिलाने का वास्तविक उपकरण बन सके।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/Judicial-reform